

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 1541 / एफ-7-29/31 / एस-2/2022,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक 23/03/2022

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- कोरिया जिले के विकासखण्ड-भरतपुर अंतर्गत राम वन गमन पर्यटन विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत सीतामढ़ी हरचौका में सीतामढ़ी के पास घाट विकास कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत्।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्रमांक-25/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2022/275, दिनांक 11.01.2022.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा कोरिया जिले के विकासखण्ड-भरतपुर अंतर्गत राम वन गमन पर्यटन विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत सीतामढ़ी हरचौका में सीतामढ़ी के पास घाट विकास कार्य हेतु रु.175.74 लाख (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख चौहत्तर हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. राम वन गमन पर्यटन विकास के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सीतामढ़ी हरचौका में सीतामढ़ी के पास घाट विकास कार्य प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41-लेखाशीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101} सतही जल, 0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828) लघु सिंचाई योजना, #97 निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश 25/2012 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 25.02.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्यता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के दायरपाल के नाम से

तथा आदेशाब्दार

(प्रैग्मासंह घरेल्ल)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

| | |
|---|--|
| कार्यालय प्रशुत्य अभियंता जल संसाधन विभाग अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) | <i>(Signature)</i> <i>24 MAR 2022</i> |
| <i>(Signature)</i> <i>22/3/22</i> | |
| कक्ष | |

पृ.क्र. 1542 / एफ-7-29/31 / एस-2/2022,

अटल नगर, दिनांक 23/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-कोरिया (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मण्डल, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया।
15. आदेश फोल्डर।

*Om
23/03/2022
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
23/03/22*